बच्चों के प्रति अपराध*

बच्चे, जो कि किसी भी देश का भविष्य होते है, उनके प्रति किये अपराध उनके कोमल मन व शरीर पर एक अमिट निशान छोड़ जाते हैं। चाहे ये निशान बाहर से नजर न आयें पर बालमन इनका गहरा आघात पड़ता है जो इनके स्वाभाविक विकास को बाधित कर इन्हें किसी न किसी मानसिक व्याधि का शिकार बना देता है। आज कोई सा भी समाचार पत्र देखो या टीवी के किसी भी चैनल पर समाचार देखो हर कहीं बच्चों के प्रति किसी अपराध या दुर्व्यवहार की खबर अवश्य मिलेगी। जबकि 'सुरक्षा' प्रत्येक बच्चे का अधिकार है चाहे वह घर में हो, स्कूल में हो या सड़क पर हो, हर परिस्थिति में बच्चों को सुरक्षा दी जानी चाहिये।

सभी बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार व शोषण से सुरक्षा देना सुनिश्चित करना उसके परिवार, अभिभावको व राज्य की जिम्मेदारी है परन्तु दुर्भाग्य से बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास में सहायक सुरक्षित वातावरण हमेशा नहीं मिल पाता है। कई बार तो उसे परिवार के उन्हीं सदस्यों व अभिभावको से हिंसा व दुर्व्यवहार प्राप्त होता है जिन पर उसकी सुरक्षा व संरक्षण की जिम्मेदारी है।

बाल अपराध न सिर्फ भारत में वरन् विश्व के सभी देशों में प्रचलित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के 40 मीलियन बच्चे प्रताड़ना एवं उपेक्षा से पीड़ित हैं तथा उन्हें स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल की आवश्यकता है। मिस्त्र में हुए एक सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 37 प्रतिशत बच्चों को उनके माता पिता द्वारा पीटा जाता था तथा 26 प्रतिशत कों चोटें आई थी। सउदी अफ्रीका पुलिस के ऑकड़े बताते हैं कि बच्चों से बलात्कार व हिंसा के 21,000 प्रकरण हुए थे जिनमें 9 माह का बच्चा भी दुर्व्यवहार का शिकार हुआ। यूनाइटेड स्टेटस में 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 10 सेकण्ड में एक बच्चा प्रताड़ना का शिकार होता है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन लगभग 5 बच्चों की मृत्यु होती है व इनमें से 3 बच्चे 4 वर्ष से कम उम्र के होते है। इनके अतिरिक्त जिन घटनाओं में बाल पीड़ितों की जिंदगी बच जाती है वे कदम कदम पर घुट घुट कर जीते है। इस तरह के अपराधों व दुर्व्यवहारों के कारण पीड़ित बच्चे की जीवन अवधि कम होने, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होने, पढ़ाई में पिछड़ने, बेघर होने, सामाजिक रूप से बिगड़ जाने की संभावना अधिक हो जाती है। अतः आवश्यक है कि बच्चों को अत्यधिक गरीबी व भूख से मुक्ति दिलाई जाये, उनके द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की जाये, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया जाये, बाल मृत्यु को कम किया जाये, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कर संकटों की संभावना को दूर किया जाये।

> भारत में वर्ष २००६ के अंत में रोशनी में आये निठारी कांड को क्या कोई भूल पायेगा जिसमें एक नाले से मानव अवशेष बरामद किये थे। वहॉ विगत दो वर्षों में पास के क्षेत्र के लगभग ४० बच्चे एवं महिलाये लापता थी। अन्वेषण के पश्चात् ज्ञात हुआ कि बरामद अवशेष इन्हीं लापता महिलाओं व बच्चों के थे जिन्हें अपराधियों ने अपने मजे के लिये मौत के घाट उतार दिया था। यह तो एक हृदय विदारक घटना थी जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा कई मानव जीवन नष्ट कर दिये गये थे।

भारत में भी बाल अपराध की स्थिति अत्यधिक विकराल स्वरूप ले चुकी है। भारत में सन् 2008 में बच्चों के प्रति 22500 अपराध रिपोर्ट किये गये जो कि 2007 में 20410 थे[1] अर्थात् गत वर्ष की तुलना में 10.2

---

[1] राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार।

* यह जानकारी विकास संवाद की अपरा विजयवर्गीय द्वारा तैयार की गई है।

प्रतिशत की वृद्धि अपराधों की संख्या में देखी गई। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक बाल अपराध (4259), औसतन 12 अपराध प्रतिदिन, मध्य प्रदेश में दर्ज किये गये जो कि देश के कुल बाल अपराधों का लगभग पॉचवा हिस्सा (18.9 प्रतिशत) थे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व दिल्ली के 4078, 2709, व 1854 बाल अपराधों के योगदान के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर थे। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, इन्दौर, कुल संज्ञेय बाल अपराधों के दर में सर्वप्रथम थी व भारत की 35 बड़े शहरों में कुल अपराधों में इसका स्थान दूसरा था। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी का स्थान इस सूची में 13वें स्थान पर था। राज्यों एवं शहरों की स्थिति तालिका 1.1 से और अधिक विस्तार सें परिलक्षित होती है।

तालिका 1.1 वर्ष 2008 के दौरान राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में बाल अपराध की घटना व दर

क्रं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	घटना	भारत के कुल योग में प्रतिशत योगदान	कुल संज्ञेय अपराधों की दर	कुल संज्ञेय अपराधों की दर के अनुसार स्थान	प्रतिशत सहयोग के आधार पर स्थान
राज्यः						
1	आंध्र प्रदेश	1321	5.9	1.6	21	5
2	अरूणाचल प्रदेश	24	0.1	2.0	18	29
3	आसाम	183	0.8	0.6	28	17
4	बिहार	766	3.4	0.8	26	9
5	छत्तीसगढ़	1167	5.2	4.9	6	7
6	गोवा	80	0.4	4.9	7	21
7	गुजरात	1074	4.8	1.9	19	8
8	हरियाणा	269	1.2	1.1	24	15
9	हिमाचल प्रदेश	205	0.9	3.1	11	16
10	जम्मू एवं कश्मीर	10	0.0	0.1	34	32
11	झारखण्ड	71	0.3	0.2	32	22
12	कर्नाटक	388	1.7	0.7	27	14
13	केरल	549	2.4	1.6	22	11
14	मध्य प्रदेश	4259	18.9	6.1	5	1
15	महाराष्ट्र	2709	12.0	2.5	12	3
16	मणिपुर	89	0.4	3.4	10	20
17	मेघालय	62	0.3	2.4	13	24
18	मिजोरम	22	0.1	2.2	15	30
19	नागालैण्ड	3	0.0	0.1	33	34
20	उड़ीसा	141	0.6	0.4	31	19
21	पंजाब	389	1.7	1.5	23	13
22	राजस्थान	1223	5.4	1.9	20	6
23	सिक्किम	24	0.1	4.0	9	28
24	तमिलनाडु	666	3.0	1.0	25	10
25	त्रिपुरा	163	0.7	4.6	8	18
26	उत्तर प्रदेश	4078	18.1	2.1	16	2
27	उत्तराखण्ड	38	0.2	0.4	30	26
28	पश्चिम बंगाल	513	2.3	0.6	29	12
कुल (राज्य)		**20486**	**91.0**	**1.8**		
केन्द्र शासित प्रदेश						
29	अंडमान एवं निकोबार	47	0.2	11.3	1	25

क्र.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	घटना	भारत के कुल योग में प्रतिशत योगदान	कुल संज्ञेय अपराधों की दर	कुल संज्ञेय अपराधों की दर के अनुसार स्थान	प्रतिशत सहयोग के आधार पर स्थान
30	चंडीगढ़	66	0.3	6.2	4	23
31	दादरा एवं नागर हवेली	17	0.1	6.4	3	31
32	दमन एवं दीव	4	0.0	2.1	17	33
33	दिल्ली	1854	8.2	10.7	2	4
34	लक्षद्वीप	0	0.0	0.0	-	-
35	पुडुडुच्चेरी	26	0.1	2.4	14	27
कुल (केन्द्र शासित प्रदेश)		**2014**	**9.0**	**9.9**		
कुल (संपूर्ण भारत)		**22500**	**100.0**	**2.0**		

तालिका 1.1ए वर्ष 2008 के दौरान शहरों में बाल अपराध की घटना व दर

क्र.	शहर	घटना	भारत के कुल योग में प्रतिशत योगदान	जनसंख्या (लाखों में)	कुल संज्ञेय अपराधों की दर	कुल संज्ञेय अपराधों की दर के अनुसार स्थान	प्रतिशत सहयोग के आधार पर स्थान
शहर							
36	आगरा	36	0.8	13.21	2.7	19	24
37	अहमदाबाद	143	3.1	45.19	3.2	17	8
38	इलाहाबाद	37	0.8	10.50	3.5	15	23
39	अमृतसर	40	0.9	10.11	4.0	13	21
40	आसनसोल	0	0.0	10.91	0.0	-	-
41	बैंगलूरू	4	0.1	56.87	0.1	33	33
42	भोपाल	90	1.9	14.55	6.2	9	13
43	चैन्नई	46	1.0	64.25	0.7	30	19
44	कोयम्बटूर	9	0.2	14.46	0.6	31	30
45	दिल्ली (शहर)	1577	34.1	127.91	12.3	2	1
46	धनबाद	8	0.2	10.64	0.8	29	31
47	फरीदाबाद	39	0.8	10.55	3.7	14	22
48	हैदराबाद	68	1.5	55.34	1.2	24	14
49	इन्दौर	477	10.3	16.39	29.1	1	2
50	जबलपुर	6	0.1	11.17	0.5	32	32
51	जयपुर	103	2.2	23.24	4.4	12	12
52	जमशेदपुर	0	0.0	11.02	0.0	-	-
53	कानपुर	176	3.8	26.90	6.5	8	6
54	कोच्चि	14	0.3	13.55	1.0	26	28
55	कोलकाता	131	2.8	132.17	1.0	27	9
56	लखनऊ	206	4.5	22.67	9.1	4	5
57	लुधियाना	110	2.4	13.95	7.9	7	11
58	मदुराई	14	0.3	11.95	1.2	25	27
59	मेरठ	64	1.4	11.67	5.5	11	15
60	मुंबई	364	7.9	163.68	2.2	20	3
61	नागपुर	169	3.7	21.23	8.0	6	7
62	नासिक	19	0.4	11.52	1.6	22	26
63	पटना	27	0.6	17.07	1.6	23	25
64	पुणे	312	6.8	37.56	8.3	5	4
65	राजकोट	61	1.3	10.02	6.1	10	17
66	सूरत	61	1.3	28.11	2.2	21	16
67	वड़ोदरा	47	1.0	14.92	3.2	18	18

क्रं.	शहर	घटना	भारत के कुल योग में प्रतिशत योगदान	जनसंख्या (लाखों में)	कुल संज्ञेय अपराधों की दर	कुल संज्ञेय अपराधों की दर के अनुसार स्थान	प्रतिशत सहयोग के आधार पर स्थान
68	वाराणसी	40	0.9	12.12	3.3	16	20
69	विजयवाड़ा	112	2.4	10.11	11.1	3	10
70	विशाखापट्टनम	10	0.2	13.29	0.8	28	29
कुल (शहर)		**4620**	**100.0**	**1078.80**	**4.3**		

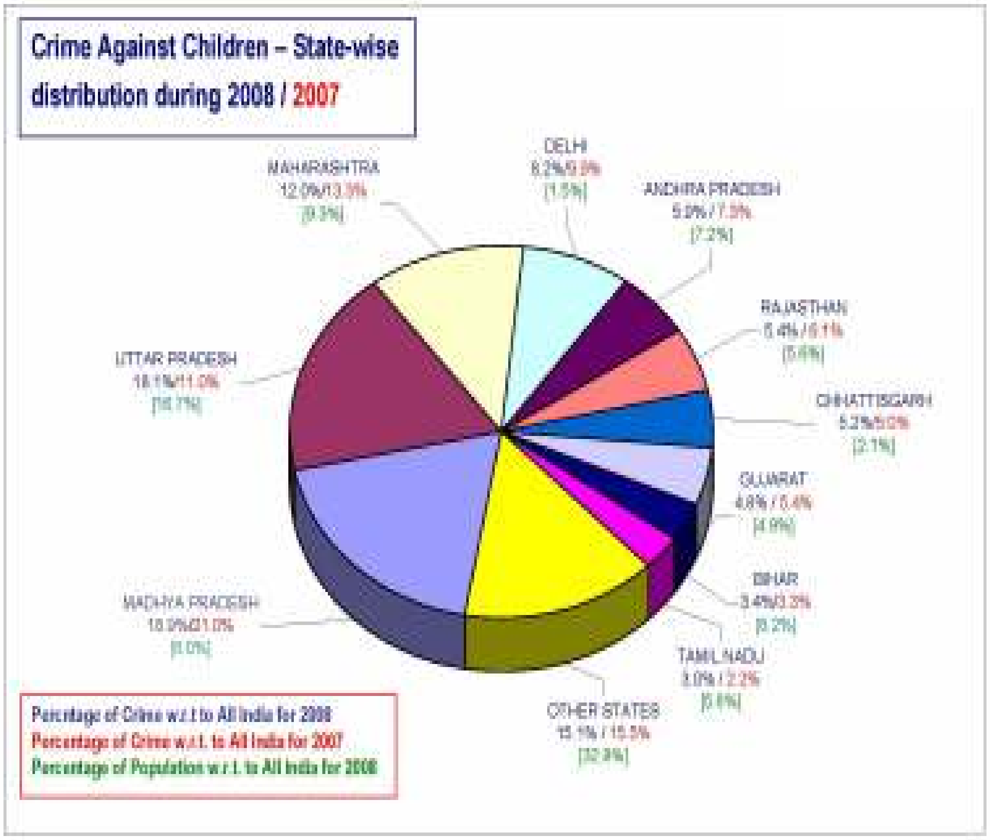

भारत ने हाल ही में बच्चों के प्रति हिंसा की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसमें यह माना है कि ''यह राज्य एवं समाज के लिये चिंता का विषय है कि हिंसा की कुछ रिपोर्ट व अनुमान बच्चों की संवेदनशीलता में वृद्धि को दर्शाते हैं. इनमें विभिन्न जातियों, वर्गों व सामुदायिक समूहों में नागरिक विकारों की घटनाओं के साथ ही दुर्व्यवहार से उपजे संघर्ष की कुछ रिपोर्ट सम्मिलित है। ऐसी अवस्थाओं में दलित, अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे व बालिकायें खासतौर पर संवेदनशील होती है।''[2]

[2] बच्चों के प्रति हिंसा पर भारत देश की रिपोर्ट, 2005, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत शासन, पेज 15।

सुरक्षा का अधिकार

प्रत्येक बच्चे को वृद्धि एवं विकास के लिये एक सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। बच्चे की इस सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार साधनों जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में 'सुरक्षा का अधिकार' माना गया है साथ ही बच्चे के अधिकारों के संविधान (सीआरसी) में इसे विशेष तौर पर विस्तारित किया गया है। इसके अनुसार, अधिकारों में सभी प्रकार के शोषण, हिंसा, दुर्व्यवहार, व अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति सम्मिलित है। साथ ही इसमें आकस्मिक या सशस्त्र दंगों की स्थितियों में विशेष सुरक्षा का अधिकार भी सम्मिलित है। इसका मकसद संवेदनशील बच्चों को उनका लाभ उठाने वालों से संरक्षण प्रदान करना तथा उनके मस्तिष्क व शरीर को सुरक्षा देना है।

बच्चों के लिये किये गये अपराधों का कोई अलग वर्ग न होने से सामान्यतः ऐसे अपराध जिनमें पीड़ित बच्चा हो उन्हें बच्चों के प्रति अपराध के रूप में मानते है। यद्यपि बच्चों की परिभाषा संबंद्ध कानून व धारा में वर्णन के अनुसार बदलती है जैसे बाल श्रम कानून 1966 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना है तो अपराधिक जवाबदेही के मामले में उसकी उम्र सीमा 7 साल ही है। बाल विवाह रोक कानून में लड़के की उम्र 21 वर्ष व लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम को नाबालिग माना गया है। जबकि स्वैच्छिक शारीरिक संबंध बनाने के मामले में 16 वर्ष की अविवाहित (15 वर्ष की विवाहित लड़की) को बालिग माना गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1997 की रिपोर्ट में इन विसंगतियों का संज्ञान लिया है पर अभी तक भारतीय कानून के अनुसार 'बच्चे' की एक परिभाषा तय नहीं की गई है यद्यपि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अनुसार बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम परिभाषित की गयी है।

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा के प्रावधान वाले बच्चों के प्रति अपराध को निम्नानुसार सूचिबद्ध किया जा सकता हैः

1. हत्या (भारतीय दंड संहिता की धारा 302)
2. भ्रूण हत्या (भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 314, 315) जन्म लेने के प्रति अपराध
3. शिशु हत्या (नवजात के प्रति अपराध) (भारतीय दंड संहिता की धारा 316)
4. आत्महत्या के लिये बहकाना/उकसाना (बच्चों को आत्महत्या के लिये दूसरे व्यक्तियों द्वारा बहकाना) भारतीय दंड संहिता की धारा 305
5. बच्चों को बाहर निकालना या परित्याग करना (बच्चों के प्रति माता पिता या अन्य के द्वारा बाहर निकालने या उन्हें परित्याग करने के मन्तव्य से छोड़ देना) भारतीय दंड संहिता की धारा 317
6. अपहरण
    - निर्यात के लिये (भारतीय दंड संहिता की धारा 360)
    - वैधिक अभिभावकों से दूर करने के लिये (भारतीय दंड संहिता की धारा 361)
    - फिरौती के लिये (भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 384)
    - उॅट दौड़ आदि के लिये (भारतीय दंड संहिता की धारा 363)
    - भिक्षावृत्ति के लिये (भारतीय दंड संहिता की धारा 363 ए)
    - विवाह हेतु बाध्य करने के लिये (भारतीय दंड संहिता की धारा 366)
    - गुलाम आदि बनाने के लिये (भारतीय दंड संहिता की धारा 367)
    - उसके व्यक्ति से उसे चुराने के लिये (केवल 10 वर्ष से कम आयु में) (भारतीय दंड संहिता की धारा 369)

7. नाबालिग लड़कियों को प्रलोभन देना (बल दिखाने, छेड़खानी या अवैध संभोग के लिये) (भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए)
8. वेश्यावृत्ति के लिये लड़कियों को बेचना (भारतीय दंड संहिता की धारा 372)
9. वेश्यावृत्ति के लिये लड़कियों को खरीदना (भारतीय दंड संहिता की धारा 373)
10. बलात्कार (भारतीय दंड संहिता की धारा 376)
11. अप्राकृतिक अपराध (भारतीय दंड संहिता की धारा 377)

विशेष व स्थानीय कानूनों के अंतर्गत सजा के योग्य बच्चों के प्रति अपराध

1. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (जहॉ नाबालिगों को वेश्यावृत्ति में लगाया जाता है
2. बाल विवाह (निरोध) अधिनियम
3. बाल श्रम (निषेध एवं नियामक) अधिनियम

मध्य प्रदेश में वर्ष 2007 व 2008 में बच्चों के प्रति हुये अपराधों की तुलनात्मक जानकारी[3]

मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में 18 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं बालिकाओं के विरूद्ध कुल 4259 अपराध घटित हुए, जबकि गत वर्ष, मध्य प्रदेश में वर्ष 2007 में कुल 4290 अपराध घटित हुये, इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 0.78 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है

1. हत्याः

वर्ष 2008 में इस शीर्ष के कुल 107 प्रकरण पंजीबद्व हुए जिनमें सर्वाधिक जिला उज्जैन में 19, इन्दौर में 07 एवं डिंडोरी में 5 प्रकरण पंजीबद्ध हुए जबकि वर्ष 2007 में इस शीर्ष के कुल 160 प्रकरण पंजीबद्ध हुये जिनमें सर्वाधिक जिला उज्जैन 24, इन्दौर 14, एवं ग्वालियर में 12 प्रकरण पंजीबद्ध हुये। बाल हत्या के प्रकरणों में गत वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत की कमी देखी गई।

> मध्य प्रदेश में हाल ही में एक प्रकरण देखने में आया है कि हिन्दू धर्म में जहॉ एक भान्जे या भान्जी को सौ ब्राह्मण के बराबर मानकर पूजा जाता है वहीं सतना जिले के गॉव खारीतवा मे 6 मार्च को दो मामियों ने उनके घर परीक्षा देने आई भांजी सीमा को जिन्दा जला दिया। उस मासूम की गलती सिर्फ यह थी कि उसकी मामियों को शक था कि सीमा ने उनका स्वेटर चुरा लिया है। सीमा को बचाने आये उसके नाना व नानी भी बुरी तरह जल गये परन्तु सीमा, उसे तो अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ा।

2. बलात्कारः

वर्ष 2008 में इस शीर्ष के कुल 892 प्रकरण पंजीबद्ध हुए जिनमें सर्वाधिक जिला भोपाल में 76, सतना में 55 एवं छिंदवाडा में 54 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। वर्ष 2007 में इस शीर्ष के कुल 1043 प्रकरण पंजीबद्ध हुये थे जिनमें सर्वाधिक जिला बैतूल 85, भोपाल 63 एवं सागर में 48 प्रकरण पंजीबद्ध हुये। बालिकाओं से बलात्कार के प्रकरणों में गत वर्ष की तुलना में 14.5 प्रतिशत की कमी देखी गई।

3. अपहरणः

वर्ष 2008 में इस शीर्ष के कुल 264 अपराध घटित हुए इनमें सर्वाधिक जिला ग्वालियर में 45, भोपाल में 22 एवं सागर में 14 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। वर्ष 2007 में इस शीर्ष के कुल 283 अपराध घटित हुए इनमें सर्वाधिक जिला ग्वालियर 47, भोपाल 27 एवं सीधी में 26 प्रकरण पंजीबद्ध हुये थे। इन प्रकरणों में गत वर्ष की तुलना में 6.7 प्रतिशत की कमी देखी गई।

[3] मध्य प्रदेश राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाईट पर उपलब्ध

4. आत्महत्या का दुष्प्रेरणः

वर्ष 2008 में इस शीर्ष के कुल 6 प्रकरण घटित हुए। इनमें जिला अनूपपुर, बडवानी, नरसिंहपुर, सतना, शहडोल एवं टीकमगढ में 1–1 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। वर्ष 2007 में इस शीर्ष के कुल 5 प्रकरण घटित हुए। इनमें 2 जिला नरसिंहपुर 02, छतरपुर शहडोल एवं विदिशा में 1–1 प्रकरण पंजीबद्ध हुये थे।

5. बालिकाओं के बेचे जाने से संबंधित अपराधः

वर्ष 2008 में इस शीर्ष के कुल 4 प्रकरण घटित हुए। जो भोपाल 3 एवं शाजापुर में 1 पंजीबद्ध हुए। वर्ष 2007 में इस शीर्ष के कुल 2 प्रकरण घटित हुए। जो 1–1 भोपाल एवं ग्वालियर में पंजीबद्ध हुये।

6. **नाबालिग लडकियों को अनाधिकृत रूप से कब्जे में लेना {प्रोक्यूरेशन ऑफ गर्ल}:**

वर्ष 2008 में इस शीर्ष में 15 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। जिला सतना में 14 एवं 1 प्रकरण जीआरपी भोपाल में पंजीबद्ध हुए। वर्ष 2007 में इस शीर्ष में 16 प्रकरण पंजीबद्ध हुये। ये सभी प्रकरण जिला सतना में पंजीबद्ध हुये थे। नाबालिग लडकियों को अनाधिकृत रूप से कब्जे में लेने के लगभग सभी (एक को छोड़कर) प्रकरण सतना जिले में देखे गये अतः आवश्यक है कि इनके संबंधित कारणों का पता लगाकर उन्हें रोकने के प्रयास किये जायें साथ ही यह भी ज्ञात करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अन्य स्थानों पर भी इस तरह के प्रकरण हो रहे हों पर दर्ज नहीं हो पा रहे हों।

7. अनाश्रयता एवं परित्यागः

वर्ष 2008 में इस शीर्ष के कुल 99 प्रकरण पंजीबद्व हुए जिनमें सर्वाधिक जिला रीवा में 16, ग्वालियर में 12 एवं खण्डवा में 11 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। वर्ष 2007 में इस शीर्ष के कुल 141 प्रकरण पंजीबद्व हुये जिनमें सर्वाधिक जिला भोपाल 22, सतना 19 एवं ग्वालियर में 17 प्रकरण पंजीबद्ध हुये थे। इन प्रकरणों में गत वर्ष की तुलना में 29.8 प्रतिशत की कमी देखी गई।

8. बाल विवाह अधिनियमः

वर्ष 2008 में इस शीर्ष के कुल 02 प्रकरण पंजीबद्व हुए जिनमें सर्वाधिक जिला भिण्ड एवं गुना में 1–1 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। वर्ष 2007 में इस शीर्ष के कुल 05 प्रकरण पंजीबद्व हुये जिनमें सर्वाधिक जिला रतलाम 2, घार , शहडोल एवं सीधी में 1–1 प्रकरण पंजीबद्ध हुये। बाल विवाह के हर वर्ष कई प्रकरण देखे जाते हैं पर उनका दर्ज न हो पाना एक चिंता का विषय है।

8. अन्य अपराधः

वर्ष 2008 में कुल 2861 प्रकरण अन्य अपराधों के पंजीबद्ध हुए। जिनमें सर्वाधिक इन्दौर जिले में 460, छिंदवाडा में 217 एवं राजगढ में 175 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। वर्ष 2007 में इसी शीर्ष के अन्तर्गत कुल 2625 प्रकरण पंजीबद्व हुये थे। जिनमें सर्वाधिक इन्दौर जिले में 550, राजगढ में 165 प्रकरण पंजीबद्व हुये थे। यद्यपि कई तरह के अपराधों में गत वर्ष की तुलना में कमी देखी गई थी परन्तु कई अन्य बाल अपराध के प्रकरणों में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।

भारत में बाल अपराधों की संख्या व जघन्यता प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। जिसका मुख्य कारण बच्चों की उम्र व शारीरिक के साथ ही मानसिक क्षमता है जिसके परिणामस्वरूप बच्चे आधुनिक जगत में देखे जाने वाले सभी संभावित दुर्व्यवहारों व दुराचारों की गिरफ्त में आसानी से आ जाते है। कई बार 3–4 वर्ष के मासूमों को भी नहीं बख्शा जाता है, यहॉ तक कि कुछ वर्षों पहले तो भोपाल में एक पिता ने ही अपनी डेढ़ वर्ष की बेटी को अपनी वासना का क्रूर शिकार बनाया था यहॉ तक कि उसके हाथ व पैर की हड्डियॉ भी टूट गई थी, तत्पश्चात् उसे एक टॉकीज में लावारिस छोड़कर भाग गया था व बच्ची की मॉ को भी यह जानकारी नहीं थी कि उसकी बेटी कहॉ व किस हाल में है।

वर्तमान में देश का कानून है कि चाहे सौ गुनहगार छूट जाये पर कोई बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिये जिसका फायदा उठाकर कई गुनहगार छूट जाते है व उन्हे देखकर दूसरों को अपराध करने की प्रेरणा मिलती है अतः आवश्यकता है कि देश में कानून व्यवस्था को इतनी कड़ाई से पालन किया जाये कि भले ही किसी बेगुनाह को सजा न मिले पर कोई भी गुनहगार भी किसी भी परिस्थितियों में छूट न पाये साथ ही सजा भी इतनी कठोर हो कि कोई भी गुनाह करने के पूर्व पचास बार सोचेगा।